

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

मोहम्मद ताहिर (RAS)

पी.सी.सी. अधिकारी :-

486 / 2000

वाद पत्र संख्या :-

1. नूर अली आयु 67 वर्ष आत्मज श्री मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान कायम मुकामान
- 1/1 इकराम अली आत्मज नूर अली उम्र 52 वर्ष जाति सिपाही मुसलमान निवासी तालेड़ा जिला बून्दी
- 1/2 सादिक अली आत्मज नूर अली उम्र 36 वर्ष जाति सिपाही मुसलमान निवासी तालेड़ा जिला बून्दी
- 1/3 कय्यूम अली आत्मज नूर अली उम्र 30 वर्ष जाति सिपाही मुसलमान निवासी तालेड़ा जिला बून्दी
- 1/4 बानो आयु 50 वर्ष पत्नी सादिक अली जाति सिपाई मुसलमान निवासी बून्दी
- 1/5 शकीला आयु 35 वर्ष पत्नी बहीद जाति मुसलमान निवासी बून्दी
- 1/6 वहीदन आयु 34 वर्ष पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी बून्दी
- 1/7 सईदन आयु 28 वर्ष पत्नी श्री अमीर जाति मुसलमान निवासी तालेड़ा जिला बून्दी
- 1/8 साहिरा आयु 28 वर्ष पत्नी अमीर जाति मुसलमान निवासी तालेड़ा जिला बून्दी
2. ईमाम अली आयु 40 वर्ष आत्मज श्री मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

-वादीगण

बनाम

1. भगवान आत्मज नामालूम जाति मोची आयु 35 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :-

1. वादीगण की ओर से श्री अनिल खिडिया एडवोकेट
2. प्रतिवादी की ओर से श्री लीलाधर सिंह एडवोकेट



1. वादीगण ने दिनांक 25.12.1991 को यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट का पेश किया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खाते की भूमि खसरा संख्या 260 मि0 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा ग्राम तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। प्रतिवादी ने 30 X 10 फिट भूमि दबा ली है और उसमें निर्माण भी 5 वर्ष पूर्व कर लिया था। अभी तक कब्जा नहीं हटाया है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी को मौके से बेदखल कर मौके पर कब्जा प्राप्त करे।
3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर वर्णित किया कि दिनांक 10.12.1984 को प्रतिवादी ने अणदी वाई बेवा मदन लाल जाति दरोगा निवासी तालेड़ा से 41 X 35 फिट नाप का एक भूखण्ड जिसमें एक कच्चा मकान बना हुआ था। पंजीकृत बेचान नामा द्वारा खरीदा था तभी से प्रतिवादी खरीद किये गये परिसर पर बहैसियत स्वामी वादीगण की जानकारी में चला आ रहा है। अब प्रतिवादी द्वारा उस पर पक्का मकान बना लिया है।
3. वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 नूर अली, पीडब्ल्यू 2 लटूरचन्द, पीडब्ल्यू 3 लक्ष्मण के बयान कलमबद्ध कर शामिल करवाए। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में राजस्व नक्शा प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत् 2045-48 प्रदर्श 2 पेश किये। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में डीडब्ल्यू 1 भगवान मोची का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में बैचान नामा की फोटो कॉपी प्रदर्श ए-1 पेश की।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण के द्वारा लिखित बहस पेश की गई। प्रतिवादी के द्वारा भी लिखित बहस का जवाब पेश किया गया। दौराने बहस वादी वकील ने अपने दावे के समर्थन निवेदन किया कि प्रतिवादी का कब्जा हटा कर वादी को कब्जा दिलवाया जाये। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी ग्राम पंचायत द्वारा आंवटित प्लाट पर काबिज है ओर वादीगण की भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं है इसलिये वाद वादीगण खारिज किया जावे।
5. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का आधोपान्त अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :-



तनकी संख्या 1 आया वादीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 260 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा जो ग्राम तालेड़ा में स्थित है कि दावा दायरी से 5 वर्ष पूर्व पूर्व-पश्चिम 30 फिट लम्बी एवं उत्तर-दक्षिण 30 फिट चौड़ी भूमि पर निर्माण कर लिया है। जिसका विवरण वाद पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत नक्शे में दर्शाया गया है।

—वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रदर्श 1 राजस्व नक्शा पेश किया, प्रदर्श 2 राजस्व जमाबन्दी पेश की एवं नूर अली ने अपने बयानों में प्रतिवादी द्वारा 10X30 फिट पर कब्जा करने की बात कही। पत्रावली पर मौजूद मौका रिपोर्ट पर दिनांक 06.01.2004 का अलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रतिवादी ने चबूतरी व लेट्रीन बाथरूम बनाकर वादीगण की भूमि पर कब्जा कर रखा है। कब्जा की वैधानिकता का ठोस प्रमाण प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं किया गया और ना ही प्रतिवादी के द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2004 पर आपत्ति पेश की गई और ना ही उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में खण्डनात्मक साक्ष्य पेश की गई। इस प्रकार वादीगण उक्त विवाधक की प्रतिवादी ने वादीगण की वाद वर्णित भूमि पर 10X30 फिट पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर निर्माण कर रखा है पूर्णतया साबित किया है। इसलिए उक्त विवाधक वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी तय किया जाता है।

तनकी संख्या 2 आया प्रतिवादी ने वाद विषयक भूमि दिनांक 10.12.1984 को श्रीमती अणदी बाई पत्नी मदन लाल जाति दरोगा निवासी तालेड़ा से क्रय की थी उस पर कच्चा मकान बना हुआ था। बाद में प्रतिवादी ने वादीगण की जानकारी में 75,000/-रूपये खर्च करके नवनिर्माण कराया वादीगण ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की इसलिए वादीगण, प्रतिवादी के विरुद्ध दावा दायर किये जाने में एसटोपिल है।

—प्रतिवादी



इस तनकी को साबित किये जाने के क्रम में प्रतिवादी के द्वारा जो बैचान नामा प्रदर्शित करवाया गया है वह बैचान नामा आबादी भूमि का है या कृषि भूमि का उक्त बैचान नामे में खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है। वादीगण के द्वारा अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण व प्रतिवादी के मध्य प्रतिवादी के मकान के निर्माण स्थल को लेकर विवाद नहीं है बल्कि प्रतिवादी के द्वारा वादीगण की भूमि पर रास्ता निकाल कर कच्ची चबूतरी बना रखी है तथा लेट्रीन बाथरूम बना रखे हैं जो कि वादीगण की 10x30 फिट भूमि पर बना रखे हैं, को लेकर विवाद है इसलिए प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कही पर भी साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी ने उक्त लेट्रीन-बाथरूम व चबूतरी का निर्माण पट्टे शुदा जमीन पर कर रखा हो बल्कि पत्रावली पर मौजूद मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि उक्त निर्माण प्रतिवादी के द्वारा वादीगण की भूमि पर कर रखा है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा के अन्य आक्षेप के चरण संख्या 2 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रतिवादी उक्त निर्माण की राशि वादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा कर रखा है। उपरोक्त विवेचनों के अनुसार उक्त तनकी को प्रतिवादी, वादीगण के विरुद्ध साबित नहीं कर पाया है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण अनुसार वादीगण विवाधक संख्या 1 को पूर्णतया न्यायालय के समक्ष साबित करने में सफल रहे हैं तथा प्रतिवादी अपने जिम्मे विवाधक संख्या 2 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :-

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 260 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित भूमि के



दक्षिण दिशा मे पूरब-पश्चिम 30 फिट लम्बी व उत्तर-दक्षिण 10 फिट चौडी भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटा कर कब्जा छोड देवे तथा प्रतिवादी उक्त अवैध निर्माण को हटाकर कब्जा नही छोडता है तो थानाधिकारी थाना तालेडा को आदेशित किया जाता है कि मौके से प्रतिवादी को बेदखल कर वादीगण को कब्जा सम्भलाये। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



2/7/19
(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बुन्दी (राज.)
तालेडा

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेड़ा

इजलास - मोहम्मद ताहिर
आर.ए.एस.

नूरअली V/S भगवान

वाद- स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :: 486/2000

वादीगण की ओर से श्री अनिल खिडिया, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री लीलाधर सिंह की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 03.07.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि-

" वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 260 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित भूमि के दक्षिण दिशा में पूरब-पश्चिम 30 फिट लम्बी व उत्तर-दक्षिण 10 फिट चौडी भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटा कर कब्जा छोड देवे तथा प्रतिवादी उक्त अवैध निर्माण को हटाकर कब्जा नही छोडता है तो थानाधिकारी थाना तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि मौके से प्रतिवादी को बेदखल कर वादीगण को कब्जा सम्भलाये।"

नीजग..... मुबलिकग..... बाबतग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरहग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तकग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.07.2019 को जारी की गई।



M/115
31/7/19
(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा